**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2940**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**मेडिकल वीज़ा प्रदान करने संबंधी नीति**

**2940. श्री मोहम्मद अली खानः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शर्त रखी है कि पाकिस्तानी नागरिक द्वारा मेडिकल वीज़ा के अनुरोध को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) विदेशी नागरिकों को मेडिकल वीज़ा प्रदान करने संबंधी वर्तमान नीति क्या है; और**

**(घ) गत दो वर्षों में देश-वार कितने विदेशियों को मेडिकल वीजद्या प्रदान किया गया था?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): भारतीय उच्चायोग (एचसीआई), इस्लामाबाद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, अंगों के प्रत्यारोपण (आमतौर पर यकृत और किडनी) से जुड़े चिकित्सा वीजा के मामलों में, एचसीआई को पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। यह प्रमाणीकरण अंग-प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामे पर विदेश मंत्रालय की मुहर लगी होती है जिसमे सूचित किया जाता है कि वह अपनी/अपनी स्वयं की इच्छा से अपना अंग दान कर रहा है।

(ग): पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा देने की वर्तमान नीति को अनुलग्‍नक-I के रूप में दिया गया है।

(घ): पिछले दो वर्षों (2016 और 2017) के दौरान चिकित्सा वीजा प्रदान किए गए विदेशी नागरिकों के देशवार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-II के रूप में संलग्‍न है।

**\*\*\*\*\***

**-2-**

**अनुलग्‍नक-I**

**दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2940**

**पाकिस्तानी नागरिकों को चिकित्सा वीजा देने की वर्तमान नीति:-**

(i) ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को एकल प्रवेश के लिए मेडिकल वीज़ा प्रदान किया जा सकता है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में स्थापित/मान्यताप्राप्त/विशेष अस्पतालों/ उपचार केंद्रों में चिकित्सा उपचार कराना है और जिन्होंने चिकित्सा उपचार के लिए पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर ली है। मिशन द्वारा दस्तावेजों के विधिवत सत्यापन के उपरांत वीज़ा प्रदान किया जा सकता है।

(ii) वीजा जारी करने वाले अधिकारी, वास्तविकता और चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के लिए विदेशी व्यक्ति की जरुरत के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। हालांकि, निम्‍नलिखित बीमारियों की विस्‍तृत सूची, जो कि सम्पूर्ण नहीं है, के लिए चिकित्सा वीजा प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा:- न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियां; नेत्र सम्बन्धी विकार; ह्रदय से संबंधित बीमारियाँ; गुर्दे संबंधी विकार; अंग प्रत्यारोपण; जन्मजात विकार; जीन थेरेपी; रेडियो थेरेपी; कैंसर संबंधी बीमारियाँ; प्लास्टिक सर्जरी; जॉइंट रिप्लेसमेंट आदि

(iii) ऐसे वीज़ा की वैधता की शुरुआती अवधि तीन महीने की अवधि, या उपचार की अवधि तक, जो भी कम हो, हो सकती है, जिसे उपयुक्त चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार/एफआरआरओ की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है।

(iv) चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले मरीज को एक परिचर को अनुमति दी जा सकती है जिसे रोगी के 'मेडिकल वीजा' के साथ मेडिकल परिचर्या वीजा (मेड एक्स) वीजा के रूप में दिया जा सकता है ।

(v) पाकिस्तान के मेडिकल वीजा धारक नागरिकों को भारत में आगमन के 7 दिनों के भीतर एफआरआरओ/एफआरओ से स्वयं को पंजीकृत करना होगा, चाहे वीज़ा की अवधि कितनी भी हो। पाकिस्तान के मेडिकल अटेंडेंट वीजा धारक भारत में आने के 24 घंटों के भीतर एफआरआरओ/ एफआरओ से खुद को पंजीकृत करना होगा चाहे वीज़ा की अवधि कितनी भी हो।

(vi) पंजाब में प्रतिष्ठित डॉक्टर/ क्लिनिक/अस्पताल के साथ पूर्व नियुक्ति प्राप्त करने वाले रोगी को एचसीआई, इस्लामाबाद द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कर दिए जाने के बाद चिकित्सा उपचार के लिए वीजा प्रदान किया जा सकता है। आवेदक के अलावा, एक रक्त संबंधी/आश्रित व्यक्ति को भी परिचारक के रूप में वीजा प्रदान किया जा सकता है।

-3-

**अनुलग्‍नक-II**

**दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2940**

**पिछले दो वर्षों (2016 और 2017) के दौरान विदेशियों जिन्हें मेडिकल वीजा प्रदान किया गया है, का देश-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **देश**  | **2016** | **2017** |
|  | अफगानिस्तान | 36295 | 34,199 |
|  | एलैंड द्वीप समूह | 4 | 4 |
|  | अल्बानिया | - | 1 |
|  | अल्जीरिया | 10 | 8 |
|  | अंगोला | 92 | 73 |
|  | एंटीगुआ और बार्बाडोस | -- | 1 |
|  | अर्जेंटीना | 1 | -- |
|  | आर्मेनिया | 5 | 3 |
|  | ऑस्ट्रेलिया | 77 | 53 |
|  | ऑस्ट्रिया | 8 | 4 |
|  | अज़रबैजान | 2 | 2 |
|  | बहामास | 6 | 7 |
|  | बहरीन | 280 | 400 |
|  | बांग्लादेश | 76540 | 94896 |
|  | बारबाडोस | 2 | 3 |
|  | बेल्जियम | 12 | 11 |
|  | बेनिन | 1 | 5 |
|  | ब्राज़ील | 4 | 8 |
|  | बुल्गारिया | 41 | 32 |
|  | बुर्किना फासो | 1 | 10 |
|  | बुरूंडी | 85 | 58 |
|  | कंबोडिया | 219 | 269 |
|  | कैमरून | 171 | 98 |
|  | कनाडा | 123 | 148 |
|  | केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य  | - | 1 |
|  | चाड | 4 | 11 |
|  | चिली | 1 | 1 |
|  | चीन | 2 | 7 |
|  | कोग (कांगो) | 4 | 3 |
|  | कोलंबिया | - | -- |
|  | कोमोरोस | 53 | 33 |
|  | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 22 | 25 |
|  | कोस्टा रिका | - | 1 |
|  | क्यूबा | - | 2 |
|  | चेक | 6 | -- |
|  | डेनमार्क | 13 | 11 |
|  | जिबुती | 297 | 224 |
|  | डीअर ऑफ़ एस्ट तिमोर  | - | 1 |
|  | मिस्र | 59 | 71 |
|  | इक्विटोरियल गुनिया | - | 3 |
|  | इरिट्रिया | 67 | 70 |
|  | इथियोपिया | 1296 | 1960 |
|  | फ़िजी | 301 | 370 |
|  | फिनलैंड | 8 | 3 |
|  | फ्रांस | 40 | 37 |
|  | जाम्बिया | 36 | 12 |
|  | जॉर्जिया | 7 | 1 |
|  | जर्मनी | 32 | 47 |
|  | घाना | 117 | 81 |
|  | यूनान | 4 | 1 |
|  | गिनी | 3 | 39 |
|  | गुयाना | - | 1 |
|  | हॉगकॉग | 2 | 2 |
|  | हंगरी  | 1 | 3 |
|  | आइसलैंड | - | 4 |
|  | इंडोनेशिया | 60 | 82 |
|  | ईरान | 53 | 48 |
|  | इराक | 12550 | 20468 |
|  | आयरलैंड | 13 | 6 |
|  | इजराइल | 13 | 9 |
|  | इटली | 22 | 13 |
|  | आइवरी कोस्ट  | - | 11 |
|  | जापान | 1 | 6 |
|  | जॉर्डन | 36 | 40 |
|  | कजाखस्तान | 116 | 210 |
|  | केन्या | 3314 | 2558 |
|  | किरिबाती | 9 | 23 |
|  | कोरिया गणतंत्र | 1 | 2 |
|  | कुवैत | 100 | 497 |
|  | किर्गिस्तान  | 66 | 155 |
|  | लेबनान | 19 | 26 |
|  | लाइबेरिया | 4 | 50 |
|  | लीबिया | 5 | 1 |
|  | लिथुआनिया | 2 | 5 |
|  | मेडागास्कर | 41 | 109 |
|  | मलावी | 1 | 1 |
|  | मलेशिया | 103 | 184 |
|  | मालदीव | 2689 | 2267 |
|  | माली | 3 | 2 |
|  | मॉरिटानिया | 1 | 7 |
|  | मॉरीशस | 450 | 701 |
|  | मेक्सिको | 1 | 5 |
|  | मंगोलिया | 121 | 180 |
|  | मोरक्को | 11 | 9 |
|  | मोज़ाम्बिक | 276 | 158 |
|  | म्यांमार | 734 | 764 |
|  | नामिबिया | - | 1 |
|  | नॉरू | 9 | 2 |
|  | नेपाल | 1 | 2 |
|  | नीदरलैंड | 39 | 21 |
|  | न्यूजीलैंड | 25 | 23 |
|  | नाइजर | 46 | 32 |
|  | नाइजीरिया | 4614 | 3144 |
|  | नॉर्वे | 26 | 23 |
|  | ओमान | 11359 | 13576 |
|  | पाकिस्तान | 1820 | 909 |
|  | फिलिस्तीन | 59 | 60 |
|  | पापुआ न्यू गिनी | 3 | 3 |
|  | फिलिपींस | 45 | 73 |
|  | पोलैंड | 2 | 2 |
|  | पुर्तगाल | 5 | 2 |
|  | कतर | 31 | 40 |
|  | शरणार्थी | - | 1 |
|  | ताईवान (पीआरसी) | - | 1 |
|  | क्रोएशिया गणतंत्र | - | 2 |
|  | रोमानिया | 9 | 4 |
|  | रूसी संघ | 88 | 86 |
|  | रवांडा | 454 | 444 |
|  | सेंट क्रिस्टोफर और नेविस | 1 | 1 |
|  | साओ टोम एंड प्रिंसिप | 1 | -- |
|  | समोआ | - | 12 |
|  | सऊदी अरब | 1304 | 2090 |
|  | सेनेगल | 7 | 14 |
|  | सर्बिया | 1 | -- |
|  | सेशल्स | 1 | 2 |
|  | सियरा लिओन | 59 | 22 |
|  | सिंगापुर | 20 | 13 |
|  | स्लोवाक गणराज्य | - | 1 |
|  | सोमालिया | 3174 | 3267 |
|  | दक्षिण अफ्रीका | 52 | 39 |
|  | दक्षिण सूडान | 175 | 144 |
|  | स्पेन | 5 | 1 |
|  | श्री लंका | 1816 | 2141 |
|  | स्टेटलेस  | 71 | 104 |
|  | सूडान | 1754 | 3457 |
|  | सुरीनाम | 1 | -- |
|  | स्वाज़ीलैंड | 1 | 1 |
|  | स्वीडन | 16 | 20 |
|  | स्विट्ज़रलैंड | 11 | 15 |
|  | सीरिया | 73 | 92 |
|  | तंजानिया | 2741 | 2719 |
|  | ताजिकिस्तान  | 506 | 686 |
|  | थाईलैंड | 1 | 1 |
|  | टोगो  | 1 | 7 |
|  | टोंगा | 2 | - |
|  | त्रिनिदाद और टोबैगो | 7 | 8 |
|  | ट्यूनीशिया | 6 | 1 |
|  | तुर्की | 28 | 30 |
|  | तुर्कमेनिस्तान | 133 | 527 |
|  | तुवालू | 30 | 52 |
|  | युगांडा | 691 | 795 |
|  | यू. के. ब्रिटिश प्रवासी नागरिक  | - | 1 |
|  | यूके ब्रिटिश प्रजा | 1 | 1 |
|  | यूक्रेन | 16 | 33 |
|  | संयुक्त अरब अमीरात | 122 | 195 |
|  | यूनाइटेड किंगडम | 308 | 273 |
|  | संयुक्त राष्ट्र संगठन | - | 1 |
|  | संयुक्त राज्य अमरीका | 228 | 250 |
|  | उज़्बेकिस्तान | 4134 | 1754 |
|  | वानुआतु | - | 1 |
|  | वेनेज़ुएला | 1 | 1 |
|  | वियतनाम | 3 | 4 |
|  | यमन | 4113 | 6233 |
|  | जाम्बिया | 274 | 333 |
|  | ज़िम्बाब्वे | 276 | 253 |
|  | योग  | 1,77,969 | **2,05,961** |

**\*\*\*\*\*\***